राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (डी–251) अलेसे– I/1550 दिनांकः– 06/12/23

आदेश

पूर्व विभागीय आदेश क्रमांक 1996 दिनांक 09.12.2022 (क्रम संख्या 01) के द्वारा श्री दीपक माथुर, निलंबित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।, मुख्यालय–कोषाधिकारी, अलवर के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गए थे, तत्समय श्री दीपक माथुर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण "जांच बकाया नहीं" होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।

उक्त के पश्चात् विभागीय आदेश क्रमांक 1235–1239 दिनांक 03.11.2023 के द्वारा श्री दीपक माथुर, निलंबित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। को राजकार्य में लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं मानते हुए आरोप मुक्त किया जाकर श्री माथुर की निलम्बन अवधि को समस्त प्रयोजनार्थ सेवाकाल माना गया है। इस प्रकार वर्तमान में श्री माथुर के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही विचाराधीन/प्रस्तावित नहीं है।

अतः वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के अनुक्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक माथुर, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।, मुख्यालय–कोषाधिकारी, अलवर के विरूद्ध आदिनांकः–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियॉ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.2 (क) (डी–251) अलेसे– I/1550 दिनांकः–06/12/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 कोषाधिकारी, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि श्री माथुर को निलंबन काल में भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते की राशि का समायोजन करते हुए देय अन्य सभी वेतन एवं भत्ते, सेवानिवृत्ति पर देय समस्त पेंशन परिलाभों का भुगतान सहित पेंशन प्रकरण संबंधी संपूर्ण कार्यवाही अपने कार्यालय स्तर से करवाने का श्रम करावें।
3 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, अलवर।
4 उपविधि परामर्शी, जांच शाखा, कार्यालय हाजा।
5 श्री दीपक माथुर, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– ।, निवासी एनईबी हाउसिंग बोर्ड, दिल्ली रोड, अलवर।
6 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्मिक–।, कार्यालय हाजा।
7 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
9 निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–।)